

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर - 452001

क्रमांक : गोपनीय/अग्रिम समा./2020/1629

दिनांक : 3 MAR 2020

// अधिसूचना //

एतद् द्वारा सर्व संबंधितों को सूचित किया जाता है कि पूर्व में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्र. गोपनीय/अग्रिम/वै.व्य./2019/1124 दिनांक 29 मार्च 2019 के संबंध में अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक दिनांक 10/01/2020 में प्राप्त प्रस्ताव अनुसार माननीय कुलपति महोदया द्वारा दिनांक 29/02/2020 को म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52(4)(V) के तहत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


महाविद्यालयों को इस नवीन अधिसूचना दिनांक से आगामी सैद्धांतिक परीक्षाओं हेतु पूर्व की भांति अग्रिम राशि प्रदान की जायेगी । आगामी परीक्षाओं हेतु महाविद्यालयों को अधिसूचना क्र. गोपनीय/अग्रिम/वै.व्य./2019/1124 दिनांक 29 मार्च 2019 के परिपालन में विद्यार्थियों से प्राप्त कुल राशि/व्यय/शेष राशि/अग्रिम राशि की मांग का विवरण संलग्न प्रारूप में रु. 100/- के शपथ पत्र पर विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में प्रस्तुत किया जाना है ।

2/ इस अधिसूचना दिनांक तक जो परीक्षार्थें संपादित हो चुकी हैं, उनके समायोजन हेतु प्रकरण नियमानुसार पृथक से प्रस्तुत किये जायें । उनके लिये अग्रिम राशि प्रदान नहीं की जायेगी ।

3/ जिन महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया गया है, उनके द्वारा एकत्रित परीक्षा संचालन शुल्क तथा प्रायोगिक परीक्षाओं में व्यय का नियमानुसार विवरण 30 जून 2020 तक समायोजन हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जाये ।

4/ आगामी सत्र 2020-21 में महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा संचालन हेतु विद्यार्थियों से रु. 100/- शुल्क नहीं लिया जायेगा । आगामी सत्र से सैद्धांतिक परीक्षा संचालन हेतु अग्रिम राशि की मांग महाविद्यालय द्वारा सामान्य पत्र के माध्यम से की जा सकेगी । प्रायोगिक परीक्षा के देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे ।

कुलपतिजी के आदेशानुसार



परीक्षा नियंत्रक

पृष्ठा. क्रमांक : गोपनीय/अग्रिम समा./2020/1629

दिनांक 3 MAR 2020

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, इन्दौर संभाग, मोती तबेला केम्पस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, संबंधित समस्त महाविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, बडवानी, बुरहानपुर एवं अलीराजपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित ।
3. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, दे.अ.वि.वि., इन्दौर
4. वित्त नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
5. उप कुलसचिव (परीक्षा) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
6. उप कुलसचिव (प्रशासन) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
7. उप कुलसचिव (शैक्षणिक) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
8. अंकेक्षण विभाग, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर सूचनार्थ ।
9. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर


उप कुलसचिव (गोपनीय)

/// शपथ पत्र ///

मैं प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/अध्यक्ष/सचिव, महाविद्यालय का नाम शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे महाविद्यालय द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर जारी अधिसूचना क्र. गोपनीय/अग्रिम/वै.व्य./2019/1124 दिनांक 29 मार्च 2019 के परिपालन में कक्षावार कुल विद्यार्थियों की संख्या अनुसार प्राप्त कुल राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	कक्षा .	कुल विद्यार्थी	रु. 100/- के मान से प्राप्त कुल राशि	व्यय सैद्धांतिक/प्रायोगिक परीक्षा	शेष राशि	सैद्धांतिक परीक्षा हेतु अग्रिम की मांग

2/ उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है ।

3/ परीक्षा समाप्ति उपरान्त अधिसूचना क्र. गोपनीय/अग्रिम/वै.व्य./2019/1124 दिनांक 29 मार्च 2019 अनुसार प्राप्त राशि तथा अग्रिम मांग से प्राप्त राशि का पूर्ण विवरण समायोजन हेतु मेरे द्वारा परीक्षा समाप्ति उपरान्त 30 जून 2020 तक विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायेगा ।

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/सचिव